



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर (जिला न्यायालय परिसर)

Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com

Phone:- 0144-2940098

क्रमांक:- स्था./2024/04

दिनांक:- 05/11/24

--:आदेश:--

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क. न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड-2/2022/2248 दिनांक 05.08.2022 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक पीएस/03 दिनांक 02.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम 1986(यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्रों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/02 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-


S. No.	ID No.	Merit No.	Name	DOB	Ocateg	Scateg	Gender	Allot Categ	AllotUshl p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	26	224	Priyanka Gupta	24-01-1995	GENERAL	GEN	Female	GEN-MERIT	Alwar - DL
2	35	261	Monu	26-01-2002	OBC-NCL	GEN	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
3	57	344	Akshay Kumar Sharma	26-05-1996	EWS	GEN	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
4	66	377	Ankit Mangal	08-07-1998	EWS	GEN	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
5	167	1079	Ravinder Kumar	15-02-2002	OBC-NCL	OBC	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
6	168	1088	Puneet Sharma	22-07-1990	EWS	EWS	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
7	266	2090	Aman Verma	21-11-1996	SC	SC	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
8	271	2137	Hemraj Parewa	29-10-2002	SC	SC	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
9	289	2279	Dheeraj Singh	01-05-1995	MBC-NCL	MBC	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL
10	293	2307	Lokesh Kumar Meena	15-08-2001	ST	ST	Male	GEN-MERIT	Alwar - DL

नियुक्ति की शर्तें:-

- सभी नियुक्तियाँ, कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय की संयुक्त परीक्षा-2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- सभी नियुक्तियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट Special Leave to Appeal (c) No(s).27348/2023 Rajasthan High Court & Anr. Vs. Rajat Yadav & Ors. के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्यव्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अंतराल पर 02 वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मैट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

05/11/24

7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशो के अधीन मेडिकल पॉलिसी लेने एवं चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
8. राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रो के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
9. इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
10. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं पुलिस विभाग सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थान पर पहुँचने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय इस प्राधिकरण में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा आयु संबंधी, शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी अर्हता, जाति प्रमाण-पत्र एवं वैवाहिक स्थिति आदि दस्तावेजो के एक-एक सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी।
14. उपरोक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।


अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)

क्रमांक:- स्था./2024/ 220 - 233

दिनांक:- 05/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. प्रियंका गुप्ता पुत्री खुशीराम गुप्ता निवासी हजारी का मौहल्ला महल चौक के पास, अलवर पिन कोड 301001
3. मोनू पुत्र अशोक निवासी ग्राम रायली पोस्ट हरसौरा तहसील बानसूर, जिला अलवर पिन कोड 301412
4. अक्षय कुमार शर्मा पुत्र योगेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम धीरपुर पोस्ट हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर पिनकोड 301412
5. अंकित मंगल पुत्र सुरेश गुप्ता निवासी शिवगंज मण्डी के पास स्टेशन रोड़ बयाना जिला भरतपुर पिनकोड 321401
6. रविन्द्र कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम टेहडका पोस्ट गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर पिनकोड 301407
7. पुनित शर्मा पुत्र दर्शन शर्मा निवासी बाबा मौहल्ला पोस्ट कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर पिनकोड 321605
8. अमन वर्मा पुत्र रमेश कुमार वर्मा निवासी 4/90 कच्ची बस्ती टीला नम्बर 04 जवाहर नगर जिला जयपुर पिनकोड 302004
9. हेमराज परेवा पुत्र नानकचंद परेवा निवासी बी-490, जेडीए कॉलोनी पालडी मीना आगरा रोड़ जयपुर पिनकोड 302031
10. धीरज सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम मुडिया तहसील नगर जिला भरतपुर पिनकोड 321205
11. लोकेश कुमार मीना पुत्र सौवलराम मीना निवासी ग्राम बडेखन पोस्ट बिलौनाकलौ तहसील लालसोट जिला दौसा पिनकोड 303503
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. संबंधित अभ्यर्थी की निजी पत्रावली।
14. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।



अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)